कार्यालय जिलाधिकारी जनपद –चम्पावत ।

संशोधित विज्ञाप्ति

संख्या– 01(2)/प0भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक दिसम्बर, 2015

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–1, देहरादून के शासनादेश संख्या– 1754/XVIII(1) /2015-03(3)/ 2014 T.C-1 दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 के अनुपालन में, जनपद चम्पावत में राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण के लिए चयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक 08 अक्टूबर, 2015 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक 18 नवम्बर, 2015 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1– शारीरिक दक्षता हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किमी0 और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किमी0 दौडना आवश्यक है।

2– आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2015 को बढाकर, 31 दिसम्बर, 2015 निर्धारित की गयी है। तदनुसार संशोधित समय सारणी निम्न प्रकार है:–

कम संख्या	विषय	संशोधित अवधि
1	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	31.12.2015
2	प्राप्त आवेदनों की सन्निरीक्षा	1.1.2016 से 15.1..2016
3	शारीरिक दक्षता परीक्षण अवधि	15.02.2016 से 15.03.2016
4	लिखित परीक्षा की तिथि	22.05.2016(रविवार)
5	उत्तरकुंजी का प्रकाशन	27.05.2016 से 03.06.2016
6	आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की तिथि	04.06.2016 से 19.06.2016
7	आपत्तियों के निस्तारण की तिथि	04.07.2016
8	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	04.09.2016
9	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	04.11.2016

3– अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से अथवा स्वयं भी आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित जिला मुख्यालय पर अन्तिम तिथि दिनांक 31.12.2015 से पूर्व जमा किये जा सकते हैं।

4– यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई कमियॉ हों, यथा, अपेक्षित सेवायोजन पंजीकरण, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में हस्ताक्षर की कमी, मूल बैक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर, स्वप्रमाणित फोटोग्राफ्स, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकायें , अपेक्षित दस्तावेज अन्तिम तिथि 31.12.2015 से पूर्व पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से अथवा स्वयं भी जिला मुख्यालय पर जमा किये जा सकते हैं, अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदनों में कमियां पायी गयी हैं, उनका विवरण जिला कार्यालय चम्पावत के नोटिस बोर्ड एवं जिलाधिकारी चम्पावत की बेवसाइट www.champawat. nic.in पर उपलब्ध है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र में भी वांछित कमियों का उल्लेख किया जा रहा है।

5– अभ्यर्थी द्वारा संलग्न कोई भी प्रमाण पत्र यथा सेवायोजन में पंजीकरण, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र आदि आवेदन की अन्तिम की तिथि 31.12.2015 तक वैद्य होना चाहिए। अभ्यर्थी जिनके जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त हो गयी है। दिनांक 31.12.2015 तक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र बनवाकर शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि को अथवा अन्तिम तिथि से पूर्व जिला कार्यालय में प्रस्तुत होकर जमा कर सकते हैं।

6– भूतपूर्व सैनिक को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र(जो कि किसी भी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय से जारी नहीं किया गया) मान्य तभी होंगे, जबकि उनकी मान्यता के सम्बन्ध में उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या– के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो।

7– अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया एफेडेविट मान्य नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किये जाने पर किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में शारीरिक परीक्षा की तिथि को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाने की दशा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8– पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस जनपद में राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) पद के लिये आवेदन किया गया है। उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9– उक्त के अतिरिक्त पूर्व जारी विज्ञप्तियों एवं संशोधित विज्ञप्तियों में दी गयी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उपरोक्त उपरोक्त के अतिरिक्त शेष समस्त संशोधित नियमों/ निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.champawat.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी जनपद –चम्पावत।

संख्या– 999 /सात– रा0उपनि0–भर्ती–वि0संशो0/2015, दिनॉक 22 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि:– निम्नॉकितों को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त सदस्य चयन समिति, जनपद चम्पावत।

2– प्रभारी अधिकारी, पटवारी भर्ती कार्यालय चम्पावत ।

3– जिला सूचना अधिकारी चम्पावत को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान में ही छपवाया जाय। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाय।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि कृपया विज्ञप्ति मय शासनादेशों के जनसाधारण के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी चम्पावत की बेवसाइट **www.champawat. nic.in** पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

5– समस्त तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/अधीशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगरपालिका जनपद चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार कराते हुए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जन साधारण के अवलोकनार्थ चस्पा कराने का कष्ट करें।

6– नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय चम्पावत।

जिलाधिकारी
चम्पावत।